

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 20(पुरस्कार)एनएसएस/आकाशि/09/466

दिनांक: 2 दिसंबर 2010

प्राचार्य,

राजकीय/अराजकीय महाविद्यालय
(एनएसएस से संबंधित)
राजस्थान।

विषय: राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार सत्र 2009-10 हेतु नाम भिजवाने की अन्तिम तिथि
16-12-10 तक बढ़ाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपका ध्यान इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 347
दिनांक 27-7-10 एवं 398 दिनांक 13.09.10 की ओर आकर्षित कर लेखा है कि राष्ट्रीय सेवा
योजना पुरस्कार सत्र 2009-10 में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले
स्थानसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों व महाविद्यालयों को पुरस्कृत किया जाना है। पुरस्कार हेतु आवेदन
पत्र भिजवाने की अन्तिम तिथि '30-09-10' के स्थान पर '16-12-10' तक बढ़ायी जाती है। आवेदन
पत्र वा निकरण आयुक्तालय की वेबसाईट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in से
प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीय,

सचिवपक्ष (एनएसएस)

क्रमांक: एफ 20(पुरस्कार)एनएसएस/आकाशि/09/466

दिनांक: 2 दिसंबर 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1-- निजी राचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
2-- सहायक कार्यक्रम सलाहकार, एन.एस.एस., प्रादेशिक केन्द्र, जयपुर
3-- राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
✓ इन्वाजे वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर को संलग्न आवेदन पत्र वा निकरण वेबसाईट
पर डालने के संदर्भ में।

सचिवपक्ष (एनएसएस)

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 20(पुरस्कार)एनएसएस / आकाशि / ०९ / ३४७

दिनांक २७-७-१०

समरत प्राचार्य,
राजकीय / अराजकीय महाविद्यालय,
(एनएसएस से सम्बद्ध) राजस्थान ।

विषय :- राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार 2009-10

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार 2009-10 के चयन के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2010 तक आमंत्रित किये जाते हैं। इस संबंध में पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है:-

१. पुरस्कारों की संख्या :-

१. राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए 4 महाविद्यालयों का चयन किया जायेगा जिनमें से 2 महाविद्यालय सह शिक्षा एवं 2 महाविद्यालय महिला शिक्षा के होंगे।
२. 6 कार्यक्रम अधिकारियों का चयन किया जावेगा, जिनमें से 3 कार्यक्रम अधिकारी सह शिक्षा महाविद्यालयों से एवं 3 कार्यक्रम अधिकारी महिला शिक्षा महाविद्यालय के होंगे।
३. 12 स्वयं सेवकों का चयन किया जावेगा, जिनमें से 6 स्वयं सेवक सह शिक्षा महाविद्यालयों से एवं 6 स्वयं सेवक महिला महाविद्यालयों से से होंगे।

२. चयन की प्रक्रिया

१. आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा गठित चयन समिति द्वारा संस्थाओं, कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्वयं सेवकों का चयन आवेदन फार्मस के आधार पर किया जायेगा तथा समिति फ़िल्ड में जाकर भी कार्य का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करेंगी। समिति का निर्णय अंतिम होगा।
२. आवेदन पत्र पहुंचने की अंतिम तिथि पुरस्कारों के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र दिनांक 31 अगस्त, 2010 तक आयुक्त कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंच जाने चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। पुरस्कार राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करके प्रदान किये जायेंगे।

३. पुरस्कारों की प्रकृति:-

१. पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्था के प्राचार्य, पुरस्कृत होने वाले कार्यक्रम अधिकारी एवं स्वयं सेवक को शॉल, सिल्ड एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जावेगा।

४. पुरस्कार समारोह

१. पुरस्कार समारोह किसी महाविद्यालय के निर्देशानुसार आयोजित किया जायेगा, जिसकी सूचना संबंधितों को दी जायेगी।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र में उत्कृष्ट / प्रशासनिक कार्य करने वाले एक कार्यक्रम अधिकारी / स्वयं सेवक (छात्र / छात्रा) को ही नामित करें। एक महाविद्यालय से एक कार्यक्रम अधिकारी या / अथवा एक स्वयं सेवक को ही नामित करें। स्थानीय स्तर पर चयन के लिए एक समिति का गठन किया जावे तथा आवेदन पत्र पर समिति की अनुशंसा स्पष्ट रूप से अंकित करें। आवेदन पत्रों

संरथागत स्तर पर रासेया पुरस्कार के लिए महाविद्यालयों की अनुशंखा के लिए प्रपत्र

1. जिला
2. तहसील
3. पंचायत
4. महाविद्यालय का नाम व पता
5. महाविद्यालय सरकारी / और सरकारी
6. प्राचार्य / प्राचार्यों का नाम
7. महाविद्यालय में रासेयो इकाईयों की संख्या
8. पिछले 5 वर्षों के दौरान रासेयो स्वयं सेवकों का वास्तविक नामांकन और आवंटन

पासपोर्ट साईज
फोटो

वर्ष..... आवंटन.....

नामांकन

1.

2.

3.

4.

5.

9. राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों की तिमाही व अद्वा वार्षिक रिपोर्ट भेजने में नियमितता है या नहीं।

10. पिछले 3 वर्षों में विशेष शिविर लक्ष्य और वर्ष..... लक्ष्य..... वास्तविक नामांकन

11. अधीन कार्यरत रासेयो इकाईयों की संख्या

12. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत अपनाये गये गांव / शहरी कच्ची बस्तियों / समुदायों की संख्या (गोद लिये गांवों की सूची संलग्न करें)

13. अपनाये गये गांव / क्षेत्र जिन्हें सम्पूर्ण रूप से साक्षर किया गया। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14. पिछले 5 वर्षों के दौरान रासेयो गतिविधियों को लेकर गतिविधियों के विरुद्ध लम्बित मामले या जांच का द्यौरा

15. विशेष शिविर कार्यक्रम में भाग लेने वाले एवं 240 घंटे कार्य करने वाले स्वयं सेवकों का प्रतिशत।

16. पिछले 3 वर्षों के दौरान कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करने में कार्यक्रम अधिकारी की पहल, उसकी रुचि एवं उपलब्धियां अलग से पेपर संलग्न करें।

17. पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रासेयो. का उत्कृष्ट योगदान

18. अब तक प्राप्त किये गये और मापने योग्य परिणाम

19. उपलब्धियों के अपेक्षित स्तर का मासिक प्रतिवेदन की रिथति (संलग्न करें)

20. प्राचार्य की टिप्पणी

स्थानीय चयन समिति के संयोजक के
हस्ताक्षर

प्राचार्य
सरकारी / अद्वा सरकारी संरथा की
मोहर सहित

कार्यक्रम अधिकारी रत्तर पर रासेयों पुरस्कार के लिये महाविद्यालयों की सिफारिशों के लिए

प्रपत्र

1. जिला
2. सम्बद्ध महाविद्यालय का नाम व पता
3. प्राचार्य / प्राचार्यों का नाम
4. कार्यक्रम अधिकारी का नाम
5. कार्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षित है या नहीं
6. रासेयों एकक के कार्यक्रमों अधिकारियों के रूप में सेवा की अवधि (कब से कब तक)
7. रिफेशर कोर्स किया या नहीं
8. रासेया एकक जिसकी पुरस्कार हेतु सिफारिश की गई है, केक स्थापित होने की अवधि
9. पिछले 3 वर्षों के दौरान रासेयों खायें सेवकों का वारतविक नामांकन

पासपोर्ट साइज
फोटो

नामांकन

1.
2.
3.
10. रासेयों की गतिविधियों की तिमाही व अद्वा वार्षिक रिपोर्ट भेजने में नियमितता ।
11. पिछले 3 वर्षों में विशेष शिविर लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष लक्ष्य वारतविक

नामांकन

12. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत अपनाये गये गांव / शहरी बस्तियों / समुदायों की संख्या (गोद लिये गांवों की सूची संलग्न वर्ते)
13. अपनाये गये गांवों / शहरी गन्दी बरती वरी महाविद्यालय से दूरी
14. अपनाये गये गांव / क्षेत्र जिन्हें सम्पूर्ण रूप से साक्षर किया गया । प्रभाण पत्र संलग्न करें ।
15. प्राप्त साक्षरता का प्रतिशत
16. पिछले 3 वर्षों के दौरान रासेयों गतिविधियों को लेकर गतिविधियां के विरुद्ध लम्बित मामले या जांच का ब्यौरा
17. विशेष शिविर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले एवं 240 घंटे कार्य करने वाले स्थायें सेवकों का प्रतिशत
18. पिछले 3 वर्षों के दौरान कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान करने में कार्यक्रम अधिकारी की पहला, उसकी रुचि एवं उपलब्धियां अलग से पेपर पर संलग्न करें ।
19. पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रासेयों का उत्कृष्ट योगदान
 - (i) गोद लिये गये गांव में
 - (ii) महाविद्यालय परिसर विकास में
 - (iii) स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर किये गये कार्य
20. अब तक प्राप्त किये गये और मापने योग्य परिणाम ।
21. कार्यक्रम अधिकारी वरी सामान्य प्रवृत्ति ।
22. विशेष उपलब्धियाँ यदि कोई हों तो ।
23. उपलब्धियों के अपेक्षित रत्तर का मासिक प्रतिवेदन भेजने की स्थिति (संलग्न करें)
24. प्राचार्य की टिप्पणी ।

रथानीय चयन समिति के संयोजक के
हरताक्षर

प्राचार्य
सरकारी / अद्वा सरकारी संस्था की मोहर
सहित

८

राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कारों के लिये रासेयो स्वयं सेवकों की अनुशांता हेतु
आवेदन प्रपत्र

1. जिला
2. सम्बद्ध महाविद्यालय का नाम व पता
3. प्राचार्य/प्राचार्या का नाम
4. रासेयो स्वयं सेवक का नाम जिसकी सिफारिश की जा रही है।
5. लिंग
6. दूरभाष संख्या सहित पूरा पता
7. रासेयो स्वयं ओपक के दौरान पूरे किये गये घंटे
8. रासेयो स्वयं सेवकों की कार्य की अवधि कब से कब तक
9. क्या रासेयो डायरी बनाई हुई है।
10. उपलब्धियाँ
11. कितने रासेयो विशेष शिविरों में भाग लिया।
12. राष्ट्रीय राज्य रत्तर के कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों जिसमें भाग लिया, यदि कोई है तो ब्यौरा दें।
13. रवतादान/नेत्रदान/प्रतिज्ञा/वृक्षारोपण/पर्यावरण/जल संरक्षण/शांति एवं सद्भाव/संरक्षण/साक्षरता/स्वास्थ्य शिक्षा/सामुदायिक विकास कार्य इत्यादि अलग कागज पर ब्यौरा दें।
14. गोद लिये गये समुदाय में सामाजिक, आर्थिक रत्तर को ऊपर उठाने में अन्य युवाओं को प्रेरित करने में नेतृत्व के गुण और अन्य पहल व्यापक उसे कभी न्यायालय द्वारा दोषी ढ़हराया गया है अथवा उनके विरुद्ध कोई मामला लम्बित पड़ा है। टिप्पणी करें।
15. सामान्य प्रवृत्ति
16. कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन, सम्पूर्ण तथ्यात्मक ब्यौरा सहित अलग कागजात संलग्न करें।
17. प्राचार्य की अभिशंषा

पासपोर्ट साइज
फोटो

कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थानीय चयन समिति के संयोजक के
हस्ताक्षर

प्राचार्य
सरकारी/आद्व सरकारी संस्था की
मोहर सहित